भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1715

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है

वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी

1715. श्री राधेश्याम राठियाः

श्री दुलू महतोः

श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

श्री विजय कुमार दूबेः

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

श्री नव चरण माझीः

डॉ. राजेश मिश्राः

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 14वें दौर का ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 तथा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत प्रस्तावित खानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक खदान के लिए प्राप्त बोलियों की कुल संख्या कितनी है तथा प्रत्येक खदान के सफल बोलीदाताओं का ब्यौरा क्या है, जिसमें कंपनी का नाम, बोली मूल्य, उत्पादन क्षमता तथा परिचालन आरंभ करने की समय-सीमा शामिल है;

(घ) उन्नत प्रौद्योगिकियों की क्षमता बाली खानों की पहचान करने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं.

(ङ) वाणिज्यिक कोयला खनन में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं;

(च) हाल ही में संपन्न नीलामी दौर से घरेलू कोयले की उपलब्धता, क्षेत्रीय दक्षता और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है:

(छ) छत्तीसगढ़ स्थित खदानों विशेषकर हसदेव अरण्य और मांड-रायगढ़ क्षेत्रों की पर्यावरणीय वहन क्षमता, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव तथा राज्य की कोयला उत्पादन क्षमता में संभावित वृद्धि का आकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ज) छत्तीसगढ़ में उक्त परियोजनाओं द्वारा कितना राजस्व एवं रोजगार सृजित होने की संभावना है; और

(झ) क्या सीधी लोक सभा क्षेत्र में किसी नई कोयला खदान की नीलामी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 14वां दौर 29 अक्टूबर, 2025 को शुरू किया गया था और कुल 41 कोयला खदानों की पेशकश की गई है। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 है। इस दौर का उद्देश्य कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत करना, कोयले के आयात को कम करना और घरेलू कोयला उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अलावा, 14वां दौर में पहली बार है कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए विशिष्ट प्रावधानों को भारत के वाणिज्यिक कोयला नीलामी ढांचे में शामिल किया गया है ताकि गहरे कोयला संसाधनों का दोहन किया जा सके।

(ख) वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के 14वें दौर में पेशकश खानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है -

राज्य	कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत	खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम), 1957 के तहत	कुल
आंध्र प्रदेश	0	3	3
छत्तीसगढ़	2	13	15
मध्य प्रदेश	1	1	2

महाराष्ट्र	0	5	5
ओडिशा	2	10	12
तेलंगाना	0	1	1
पश्चिम बंगाल	0	3	3
कुल	5	36	41

(ग) बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 है। अभी तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते में अधिदेशित है कि सभी सफल बोलीदाता मशीनीकृत निष्कर्षण, परिवहन, कार्बन फुटप्रिंट में कमी और फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी के विकास सहित उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेंगे। तदनुसार, नीलामी के लिए खानों की पहचान उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए की जाती है जहां ऐसी आधुनिक प्रणालियों को न्यूनतम पर्यावरणीय व्यवधान के साथ प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील जोनों, बाघ रिजर्वों, एलीफेंट कॉरीडोर्स, अति घने वन (वीडीएफ > 40%) क्षेत्रों, सीबीएम पट्टे के ओवरलैप अथवा प्रमुख सतही अवरोधों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग और घनी बस्ती) को कोयला ब्लॉकों को बाहर रखा गया है।

(ड.) नीलामी प्रक्रिया इस्पात मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एमएसटीसी लिमिटेड के सुरक्षित ई-नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाती है। एमएसटीसी पोर्टल पर प्रस्तुत की गई सभी बोलियां डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्ट की जाती हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिभागी बोलीदाताओं की उपस्थिति में ऑनलाइन बोलियों का डिक्रिप्शन और वास्तविक बोलियां खोली जाती हैं। फॉरवर्ड ऑक्शन के दौरान, नवीनतम उच्चतम ऑफर सभी पात्र बोलीदाताओं को दिखाई देता है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा संभव होती है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी संबद्ध या संबद्ध इकाई को उसी कोयला खान की नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

(च) वाणिज्यिक नीलामी के 14वें दौर में पेश की गई कोयला खानों में घरेलू कोयला आपूर्ति में लगभग 35.41 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) का योगदान

करने की क्षमता है। इससे क्षेत्रीय कोयले की उपलब्धता में वृद्धि, कोयले के आयात पर निर्भरता कम होने और कोयला उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में सहायता करने की अपेक्षा है।

(छ) और (ज) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अन्य सहित कोयला खानों के लिए पर्यावरणीय वहन क्षमता और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव का आकलन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक खान के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) और वन स्वीकृति (एफसी) अधिदिष्ट है और इसके लिए भूमि उपयोग, जैव विविधता, वायु और जल गुणवत्ता, जल विज्ञान, पुनर्वास और पुनर्स्थापन आवश्यकताओं और परियोजना प्रभावित परिवारों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित सार्वजनिक सुनवाई स्थानीय समुदायों के विचारों को शामिल करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) सुनिश्चित करता है कि खनन कार्य क्षेत्र की संधारणीय पर्यावरणीय वहन क्षमता के अंदर हो।

पेशकश की गई 41 कोयला खानों में से कुल 10 कोयला खानें छत्तीसगढ़ राज्य के मांड-रायगढ़ क्षेत्र की हैं, जबकि कोई भी कोयला खान हसदेव अरण्य क्षेत्र की नहीं है। इन 10 कोयला खानों में से 5 का आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया है और 5 खदानों का पूरी तरह से अन्वेषण किया गया है। पूरी तरह से खोजी गई इन 5 कोयला खदानों से राज्य के कोयला उत्पादन में 11.48 एमटीपीए की वृद्धि होने की आशा है और 1075 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक राजस्व के साथ 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की अपेक्षा है।

(झ) वित्त वर्ष 2025-26 में सीधी लोकसभा क्षेत्र से कोयला खदान की कोई नीलामी नहीं की गई है।
